न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री मनोज कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 70/2019

अपीलान्ट बनाम रेस्पोडेन्ट

उदाराम पुत्र जोगाराम जाति जाट
निवासी हैसाबा तहसील खींवसर जिला नागौर।

सरकार जरिये तहसीलदार खींवसर।

उपस्थिति :–
1. श्री भंवरलाल चौधरी अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय दिनांक:22.11.2019

{1}–मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, खींवसर द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 11/2019 सरकार बनाम उदाराम में निर्णय दिनांक 28.05.19 के तहत मौजा आचीणा के खसरा नं. 100 रकबा 0.04 बीघा गै.मु. रास्ता भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर दिनांक 29.08.19 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 13.09.19 को मियाद के बिन्दु पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाया गया। अपीलांट द्वारा अपनी अपील के समर्थन में तहसीलदार खींवसर के प्रकरण सं. 11/19 सरकार बनाम उदाराम के फर्द अहकाम दिनांक 14.05.19 से 28.05.19 तक की फोटोप्रति, निर्णय दिनांक 28.05.19 की फोटोप्रति, पटवारी रिपोर्ट की फोटोप्रति तथा नोटिस की फोटोप्रति पेश की। रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय वकील उपस्थित हुए।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक द्वारा मियाद के बिंदु पर बताया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की जानकारी अपीलांट को नही थी, दिनांक 25.08.19 को गांव मे चर्चा सुनी कि अपीलांट के विरूद्व धारा 91 आर एल आर के अन्तर्गत कार्यवाही की गई है, तब अपीलांट तहसील कार्यालय खींवसर गया व दिनांक 26.08.19 को नकले प्राप्त की, इसलिये जानकारी के दिवस से उक्त अपील अंदर मयाद स्वीकार करने का निवेदन किया है। जिसका राजकीय वकील द्वारा विरोध नही किया गया है। अतः मियाद के बिन्दु पर नरम रूख अपनाते हुए अपीलांट की अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है। वकील अपीलांट ने आगे अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

{2}(I)–अधीनस्थ न्यायालय ने प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के अनुसार अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य सबूत का अवसर दिये बिना ही व पत्रावली का अवलोकन किये बिना ही विधि विरूद्व आदेश जैर अपील कर दिया जो निरस्तनीय है।

{2}(II)–अपीलांट के विरूद्व पटवारी हल्का आचीणा ने ग्राम आचीणा के गै.मु. रास्ता खसरा नं. 100 अथवा उसके किसी भू–भाग पर अतिक्रमण की रिपोर्ट मिथ्या की है जबकि अपीलांट का उक्त रास्ते के किसी भू–भाग पर कभी कब्जा नही रहा और न ही वर्तमान मे है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का आचीणा की अपीलांट की पीठ पीछे तैयार की गई एकतरफा रिपोर्ट के आधार पर उन्हे अतिक्रमी मानकर निर्णय जैर अपील पारित करने मे कानूनी व वाकियाति भूल की है।

{2}(III)–अपीलांट को दिनांक 28.05.19 की तारीख पेशी का कोई नोटिस तामील नही हुआ। जिसका उल्लेख आदेशिका मे भी है। इसके बावजूद भी प्राकृतिक न्याय व स्थापित विधि की अवहेलना करते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित कर दिया जो अवैध है।

अपर कलक्टर, नागौर

{2}(IV)–तहसीलदार खींवसर ने पत्रावली पर उपलब्ध किसी भी साक्ष्य का पठन नही किया और न ही अपने न्यायिक विवेक का उपयोग करते हुए निर्णय पारित किया है। तहसीलदार खींवसर ने पूर्व मे प्रिन्टेड निर्णय मे केवल रिक्त स्थान भरने का कार्य किया है। रिक्त स्थान भी तहसीलदार स्वयं ने भरे है यह भी संदेहस्पद होना प्रकट होता है। इस प्रकार अपीलाधीन निर्णय जैर अपील निर्णय की परिभाषा मे भी नही आता है और विधि अनुसार यह अवैध व शून्य है।

{2}(V)–अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही निर्णय जैर अपील पारित कर दिया जो अपास्त होने योग्य है।

{2}(VI)–अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का की गलत रिपोर्ट के आधार अपीलांट का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा मानकर निर्णय जैर अपील पारित कर दिया जो गलत है।

{3}–राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांट द्वारा मौजा आचीणा में स्थित गै.मु. रास्ता भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{4}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। पटवारी हल्का की अतिक्रमण रिपोर्ट में आराजी भूमि वाके आचीणा के खसरा नंबर 100 रकबा 0.04 बीघा गै.मु. रास्ता भूमि पर अपीलांट का अतिक्रमण किया जाना अभिलेख से पाया गया। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को विधिवत नोटिस दिया गया है। आराजी भूमि की किस्म गै.मु. रास्ता है। जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

{5}– उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील कायम रखा जाता है।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
अपर कलक्टर,
नागौर